बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

दरभंगा प्रमंडल,दरभंगा।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 125/09–10

1. प्रस्तावना :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखंड विकास कार्यालय विस्फी, मधुबनी।

(ख) अंकेक्षित अवधि – वर्ष 2007–08 एवं 08–09

(ग) लेखा प्रभारियों के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री रविन्द्र नाथ, प्रखंड विकास पदाधिकारी
   1.4.07 से 12.6.07
2. श्री रमेश प्रसाद दिवाकर विकास पदाधिकारी
   12.6.07 से 13.6.07
3. श्री नरेन्द्र नाथ विकास पदाधिकारी
   13.6.07 से 18.9.07
4. श्री रमेश प्रसाद दिवाकर विकास पदाधिकारी
   18.9.07 से 11.1.08
5. श्री संदीप कुमार रा0 पु0 विकास पदाधिकारी
   11.1.08 से 7.4.08
6. श्री रमेश प्रसाद दिवाकर विकास पदाधिकारी
   07.4.08 से 29.7.08
7. श्री राजा रामचन्द्र राम विकास पदाधिकारी
   29.7.08 से 20.2.09
8. श्री अजय कुमार विकास पदाधिकारी
   20.2.09 से 31.3.09
9. श्री विश्वनाथ झा नाजिर
   21.4.07 से 4.7.08
10. श्री उदय नारायण लाल नाजिर
    01.04.07 से 20.04.07

11\. श्री शंकर लाल कर्ण नाजिर

05.7.08 से 31.3.09

(घ) अंकेक्षण में सहयोग करने वाले

कर्मचारी का नाम – पदनाम – श्री शंकर लाल नाजिर

(ड़) अंकेक्षकों के नाम – 1. श्री जय शंकर मिश्र वरीय अंकेक्षण–2

2\. श्री राम कुमार कर्ण वरीय अंकेक्षण–2

3\. श्री अवधेश कुमार सिंह वरीय अंकेक्षण–2

(च) अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि – 22.7.09

(छ) अंकेक्षण समापन तिथि – 30.1.2010

(ज) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य

दिवसों संख्या – 50 दिन दिवस।

(झ) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

<u>(ञ) अंकेक्षण का क्षेत्र :–</u>

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.1960 में निहित निदेशों के आलोक में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया। योजनाओ पर व्यय आकस्मिक व्यय छात्रवृति भुगतान,स्वंय सहायता समूह द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान,इन्दिरा आवास मद में व्यय एवं वेतन तथा यात्रा भत्ता भुगतानों की जाँच किया गया। कोषागार से निकासी एवं जमा राशियों का सत्यापन जिला कोषागार मधुबनी के अभिलेखों से शत – प्रतिशत किया गया जो सही पाया गया।

पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन बार–बार माँग करने पर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया फलस्वरूप इसकी समीक्षा नही की जा सकी। अंकेक्षण में निर्गत आपत्तियों के अनुपालन हेतु बार–बार अनुरोध के बावजूद भी कोई ध्यान नही दिया गया और न अंकेक्षण आपत्तियाँ लौटाया गया इस ओर उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

<u>(ट) वित्तीय समीक्षा :–</u>

अंकेक्षणाधीन अवधि 07–08 एवं 08–09 में विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत विभिन्न मदों मे प्राप्त आवंटन निकासी एवं बचत का वार्षिक विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है,जिसके अनुसार आवंटन की बचत राशि प्रत्यार्पित की गई। अंकेक्षण अवधि के आंतिम तिथि दिनांक 31.3.09 के संवरण शेष में रू0 20,28,77367=62 दर्शाया गया था जो एक विपुल राशि के रूप में रोकड़ में विद्यमान थी जिसका विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर दिया गया है। उक्त संवरण शेष की राशि में से रू0 39,18,938=06 अनपोस्टेड अभिश्रवों में दर्शाया गया था जो

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दिनांक 22.7.09 को बढ़कर रू0 41,24,405=06 पाया गया जो विचलन का द्योतक है।

अंकेक्षण अवधि में इन्दिरा आवास योजना मद में रू0 2,66,31500=00 का अन्तिम भुगतान स्वरूप रोकड़ पुस्त में व्यय पाया गया।

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दिनांक 22.7.09 को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में नगदी रोकड़ का भौतिक सत्यापन कराया गया जो सही पाया गया। संवरण शेष का पूर्ण व्योरा परिशिष्ट ''घ'' पर दिया गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि विभिन्न खाताओं में विभिन्न रोकड़ पुस्त के लम्बे समय से पड़े संवरण शेष की राशि को शीध्र ही निकालकर कोषागार में जमा कर दिया जायगा। इस ओर कार्रवाई अपेक्षित है।

भाग–1

(2) रू0 5,33,670=00 अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र प्रतिलिपि अनुसार लंबित अग्रिम राशि वसूली योग्य :–

शीर्ष 2515 'क' एवं 2235 (सा0 सु0) के वेतन भुगतान पंजी की जाँच क्रम में पूर्व पदस्थापित कार्यालय से स्थानान्तरित होकर आए कर्मचारियों के वेतन भुगतानपंजी पर दर्ज अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अनुसार पूर्व कार्यालय का अग्रिम राशि समायोजन हेतु लंबित पाया गया व्योरा निम्नवत है।

क्रम सं0	कर्मचारियों का नाम (वेतन शीर्ष)	पूर्व प्रदस्थापित कार्यालय		अग्रिमों का व्योरा	अग्रिम राशि
		कार्यालय	निर्गत एल0 पी0 सी0 ज्ञांपाक		
1	मो0 इलियास पं0 से0 (2515 क)	अंघरा ढ़ाढी प्रखंड कार्यालय	715 दि0 17.5.07	प्रखंड नजारत अंधरा ढ़ाढी का	17400=00
2	श्री कुँज बिहारी मिश्र पं0 से0 (2515 क)	रहिका प्रखंड	321 दि0 20.3.08	प्रंखड वेनी पट्टी का योजना मद का प्रखंड नजारत का प्रखंड नजारत रहिका का	250000=00 20300=00 8450=00
3	श्री देवकान्त यादव पं0 से0 (2515 क)	प्रखंड झंझापुर	966 दि0 17.5.08	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	95480=00

4	श्री राम अवतार यादव पं0 से0(2515 क)	प्रखंड झंझापुर	697 दि0 21.8.08	प्रखंड नजारत खुटौना का	35000=00
5	श्री दीपक कुमार श्री वास्तव सहायक (2235 सा0 सु0)	निदेशक सा0 सु0 कोषांग मधुबनी	904 दि0 24.12.07	जिला नजारत मधुबनी का	7000=00
6	श्री मधुसूदन प्रसाद सहायक (2235 सा0 सु0)	दर्ज नही	दर्ज नही	वेतन पंजी पृ0 16 अनुसार प्रखंड नजारत का	1,00040=00

कुल रू0— 533670=00

उपरोक्त कर्मचारियों के जिम्मे लंबित अग्रिमों का वसूली तथा राशि जमा से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया फलस्वरूप अग्रिमों लंबित पाया गया। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नही किया गया।

अतः सम्बन्धित व्यक्ति से लंबित अग्रिमों की राशि 5,33,670=00 रू0 वसूली कर पूर्व पदस्थापित कार्यालय को राशि स्थानान्तरित करते हुए नाजिर रसीद मंगवाकर अग्रिम का समायोजन कर लिया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को दी जाय।

(3) रू0 6,53,500=00 अग्रिम भुगतानों में निहित वसूली योग्य :—

अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि दिनांक 22.7.09 को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में नकदी रोकड़ के भौतिक सत्यापन क्रम में पाया गया कि अग्रिम भुगतानों में कुल रू0 22,28,558=27 निहित है, जिसमें रू0 6,53,500=00 अंकेक्षण अवधि का समायोजन या वसूली हेतु लंबित है। अग्रिमों का पूर्ण विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ‘‘ड0’’ संलग्न है। पूरी अग्रिम राशि (15,75,058.27+6,53,500=00) = 22,28,558.27 का समायोजन या वसूली हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(4) रू0 1,23,000=00 चापाकल मरम्मति एवं नाला सफाई हेतु अग्रिम भुगतान का समायोजन लंबित :—

पंचायत समिति के सहा0 रोकड़ पुस्त में व्यय से सम्बन्धित एकादश वित्त आयोग के विभिन्न योजनाभिलेखों एवं योजना पंजी की जाँच में पाया गया कि चापाकल मरम्मति एवं नाला सफाई हेतु श्री अशोक कुमार मिश्र पं0 से0 अभिकर्त्ता को रू0 3000=00 प्रत योजना

के कार्यान्वयन हेतु अग्रिमों दी गई थी जिसमें से कुल 41 योजनाओं में प्रथम अग्रिमों के उपरान्त कोई कार्रवाई किया नही पाया गया जबकि दिनांक 31.3.06 तक योजना कार्य पूर्ण किया जाना था। लंबित कुल 41 योजनाओं का पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''च'' पर दिया गया है।

अंकेक्षण में कार्य प्रगति से सम्बन्धित कोई भी जानकारी अभिलेखों से नही मिली। अंकेक्षण क्रम में पुछने पर पता चला कि सारी की सारी योजनाएँ अद्यतन लंबित पड़ा हुआ है। तीन वर्षो से अधिक समय तक सरकारी राशि का अग्रिम भुगतान का समायोजन नही किया जाना अत्यन्त गंभीर अनियमित एवं दोषपूर्ण प्रक्रिया है।

इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का भी अनुपालन भी नही किया गया।

अतः शीध्र कुल 41 योजनाओं में रू0 3000=00 प्रति योजना अर्थात 41X3000= रू0 1,23,000=00 अग्रिम राशि को समायोजन सम्बन्धित व्यक्ति से कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(5) रू0 120000=00 आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु अग्रिम प्राप्त राशि योजना प्रारम्भ नही किए जाने के कारण वसूली योग्य :–

राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत उप विकास आयुक्त,मधुबनी से आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु प्राप्त राशि से कुल आठ आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की स्वीकृति पाई गई जिसमें प्रति केन्द्र प्राक्कलित राशि रू0 1,60,000=00 था।

योजना अभिलेख के अनुसार विभिन्न अभिकर्त्ताओं को योजना कार्यान्वयन हेतु प्रथम अग्रिम स्वरूप रू0 15000=00 दिया गया था जिसका व्यय रोकड़ पुस्त में दि0 24.10.07 को था। योजना का व्योरा निम्न है।

योजना सं0	योजना का नाम	अभिकर्त्ता	अग्रिम राशि
1/07.08	नहस रूपौली दक्षिण में हरिजन दलान के बगल के0 सं0–2	श्री राम नारायण ठाकुर पं0 से0	15000=00
2/07.08	भजुपंडौल में किसुन राम दरवाजा के पास, केन्द्र सं0 –1	श्री राम नारायण ठाकुर पं0 से0	15000=00
3/07.08	विस्फी केसवा टोला उत्तम साफी घर के पास,केन्द्र–1	अशोक कुमार मिश्र पं0 से0	15000=00
4/07.08	विस्फी गोला विस्फी दशरथ महतों घर के पास केन्द्र सं0 5	अशोक कुमार मिश्र पं0 से0	15000=00
5/07.08	चमार टोली विस्फी में ,केन्द्र सं0 8	अशोक कुमार मिश्र पं0 से0	15000=00
6/07.08	धोवी टोला लक्ष्मीपुर में ,केन्द्र सं0 7	श्री अरूण कुमार झा	15000=00
7/07.08	धोवी टोला धजवा में केन्द्र सं0	श्री रधुवीर कामत	15000=00

	10		
8/07.08	परसौनी उत्तर राम नाथ राम धर के पास केन्द्र सं0 4	श्री रघुवीर कामत	15000=00

कुल – 120000=00

योजना अभिलेख के अनुसार अग्रिम प्राप्ति के उपरान्त सभी योजनाएँ अंकेक्षण तिथि तक अभिकर्त्ता द्वारा प्रारम्भ नही किया पाया गया और न आगे की कोई कार्रवाई पाई गई जो अनियमित हैं। अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि स्थान के अभाव में ये योजनाएँ प्रारम्भ नही की जा सकी थी।

अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभिकर्त्ताओं से लम्बित अग्रिम योजना राशि 1,20,000=0 की वसूली कर जमा कराया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(6) रू0 30,000=00 योजना मद में प्रथम अग्रिम स्वरूप भुगतान राशि ,योजना प्रारम्भ नही किए जाने के कारण राशि वापसी हेतु स्मार के बावजूद जमा नही पाया जाना वसूली योग्य :–

(क) सांसद योजना सं0 3–1–07–08 के अभिलेख के अनुसार ग्रा0 औसी वमनगामा गोठ में नाला निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 2 लाख था जिसके अभिकर्त्ता श्री अशोक कुमार मिश्र पं0 से0 को दिनांक 24.10.07 में रू0 15000=00 योजना कार्यान्वयन हेतु प्रथम अग्रिम का भुगतान किया गया था। अभिलेख के अनुसार दि0 28.3.08 तक अभिकर्त्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ नही किए जाने के कारण अग्रिम वसूली का सुझाव था। अभिलेख में उक्त कार्य हेतु दूसरा अभिकर्त्ता श्री सगिर अंसारी की नियुक्ति की गई जिसे दि0 1.7.08 को रू0 15000=00 अग्रिम का भुगतान था। किन्तु पूर्व अभिकर्त्ता श्री मिश्र से रू0 15000=00 की वसूली नही किया पाया गया।

(ख) पुनः योजना सं0 19/07–08 अनुसार ग्रा0 चहुटा में गाँधी चौक पर गाँधी जी मूर्त्ति सेड निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 131500=00 थी जिसके अभिकर्त्ता श्री अरूण कुमार झा ज0 से0 को दि0 15.5.08 में योजना कार्यान्वयन हेतु रू0 15000=00 अग्रिम था, जिस कार्य को दो माह के अन्दर पूरा किया जाना था। सम्बन्धित योजना कार्य अंकेक्षण समय तक प्रारम्भ नही किया पाया गया। अभिलेख में अग्रिम राशि वापसी हेतु स्मार दिया गया था किन्तु राशि जमा नही पाया गया।

अतः उपरोक्त 'क' एवं 'ख' का लंबित अग्रिम राशि अभिकर्त्ता श्री मिश्र एवं झा से क्रमशः रू0 15000=00+15000=00 कुल रू0 30000=00 की वसूली कर सम्बन्धित बैंक लेखा में जमा की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

<u>(7) रू0 10122=00 त्योहार अग्रिम /असमायोजित :–</u>

शीर्ष 2515 'ख' के वेतन भुगतान पंजी पृष्ट सं0 263 पर श्री शारदा नन्द झा प्र0 स0 को स्थानान्तरण के दौरान जिला योजना पदा0 मधुबनी के ज्ञापांक 280 दि0 26.12. 06 द्वारा निर्गत अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र अंकित था जिसके अनुसार :–

(क) त्योहार अग्रिम के रूप में रू0 1500=00 भुगतान था जिसका समायोजन 10 बराबर किस्तों में करना था लेकिन अंकेक्षण में विपत्र सं0 102/06–07 के द्वारा माह दिसम्बर 06 के वेतन से एक किस्त रू0 150=00 का समायोजन पाया गया, शेष किस्तो रू0 150X9 = 1350=00 का समायोजन उनके माह जनवरी 07 से मई 07 तक वेतन भुगतान में नही पाया गया।

(ख) श्री झा के वेतन अग्रिम के रूप में रू0 13158=00 का भुगतान किया गया था जिसका समायोजन अगले वेतन से रू0 4386=00 की दर से तीन बराबर किस्तों में करना था। किन्तु विपत्र सं0 102/06–07 से माह दिसम्बर 06 के वेतन से एक किस्त रू0 4386=00 का समायोजन पाया गया किन्तु शेष दो किस्तों रू0 4386 X2 = 8772=00 का समायोजन उनके माह जनवरी 07 से मई 07 तक के वेतन विपत्र से नही किया पाया गया।

विदित हो कि इनका विस्फी प्रखंड से बाहर स्थानान्तरण हो जाने के कारण मई 07 बाद अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र (पत्रांक 984 दि0 5.9.07) निर्गत ,वेतन भुगतान पंजी में लिखा पाया गया। किन्तु उसका कार्यालय प्रति बार–बार माँग एवं निर्गत आपत्ति के बाद भी उपलब्ध नही कराया गया।

अतः त्योहार अग्रिम क शेष राशि रू0 1350=00 एवं वेतन अग्रिम की शेष राशि रू0 8772=00 कुल रू0 10122=00 का समायोजन हेतु एक मुस्त वसूली कर कोषागार में जमा की जाय तथा सूचना (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

<u>(8) रू0 2625=00 मस्टर रौल में अनुपस्थित मजदूरों के नाम व्यय राशि वसूली योग्य :–</u>

विधायक योजना सं0 9/06–07 (वैगरा चौक से बड़ढाहा खराब सड़को की मरम्मति) के अभिलेख में मस्टर रौल जो दिनांक 1.3.07 से 7.3.07 तक कार्यरत मजदूरों से सम्बन्धित था कि जाँच में मजूदरों की जो संख्या दर्शाया गया था उसके अनुरूप मस्टर रौल में उपस्थिति दर्ज नही पाई गई अर्थात दर्शाया गया मजदूरों की संख्या से कम मजदूरों का उपस्थिति दर्ज था। फलस्वरूप मजदूरों के मजदूरी भुगतान में वास्तविक से अधिक मजदूरी का भुगतान अभिकर्त्ता श्री मनोज कुमार ज0 से0 को किया पाया गया जिसे रोकड़ पुस्त में दि0 4.9.07 को व्यय पक्ष में अंकित किया पाया।

मस्टर रौल व्योर निम्नवत है :–

मस्टर रौल पृ0 सं0	दर्शाया गया मजदूरों की संख्या/दिन	उपस्थित मजदूरो की सं0 /दिन	मजदूरी दर	मजदूरी पर व्यय राशि	वास्तविक मजदूरी राशि	अन्तर वसूली योग्य
1	10X7	9X7	75=00 प्रति दिन	5250=00	4725=00	525=00
2	10X7	8X7	75=00 प्रति दिन	5250=00	4200=00	1050=00
3	10X7	9X7	75=00 प्रति दिन	5250=00	4725=00	525=00
4	10X7	9X7	75=00 प्रति दिन	5250=00	4725=00	525=00

कुल रू0 2625=00

इस संमबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन भी नही किया गया।

अतः सम्बन्धित व्यक्ति से मजदूरी मद में वास्तविक से अधिक दिखलाया गया व्यय राशि की यथाशीध्र वसूली कर सम्बन्धित खाता में जमा की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(9) रू0 3720=00 प्रशिक्षण मानेदय का दोहरा भुगतान वसूली योग्य :–

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार, योजनान्तर्गत दिव्य विकास किरण नाजिर पुर रहिका संस्था द्वारा संचालित जूली स्वयं सहयता समूहों के कुल 12 लाभार्थियों को दि0 23.5.08 से 24.5.08 तक दो दिवसीय वेसिक ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण दिया गया था जिस हेतु कुल 3720=00 का व्यय रोकड़ पंजी में दि0 06.11.08 को पाया गया। पशिक्षण व्योरा निम्नवत है।

प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण मद का व्यय व्योरा	व्यय राशि
1 रेखा देवी	1. प्राशिक्षक साधन सेवी का मानदेय (रू0 40=00 प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन) 2 X40 X12=	960=00
2 संगिता देवी		
3 राम कुमारी देवी		
4 मीरा देवी	2. प्रशिक्षुओं हेतु भोजन (25 प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन)= 2 X25 X12=	600=00
5 शान्ति देवी		
6 असमगनी देवी	3. अल्पाहार (रू0 5=00 प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन)= 2 X5 X12=	120=00
7 गीता देवी		
8 नगिना देवी	4. प्रशिक्षुओं का मार्ग पात्रा भत्ता(रू0 25 प्रति	600=00

	दिन)= 25 X2 X12=	
9 राम दुलारी देवी	5. स्टेशनरी एवं पठन सामग्री (20 प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन)= 2 X20X12=	480=00
10 रंजन देवी		
11 गोदावरी देवी		
12 मंजू देवी	6. प्रशिक्षण संस्थान का मानदेय (40 प्रति दिन प्रशिक्षु)= 2 X40 X12=	960=00

कुल रू0 3720=00

जाँच क्रम में दिव्य विकास किरण नाजिर पुर रहिका, मधुबनी द्वारा जो पूर्व में दि0 14.5.08 से 15.5.08 तक दौ दिवसीय यही वेसिक ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण दिया गया था जिसमें कुल 33 प्रशिक्षणार्थी थे उसमें (जूली विस्फी 12 ,नेहा इटहर11,लक्ष्मी वलहा 10 कुल 33) भी जूली विस्फी का उपरोक्त नाम ही पाया गया जिस 33 प्रशिक्षणार्थी मद में कुल व्यय रू0 10,230=00 का व्यय रोकड़ पुस्त में दि0 6.11.08 में ही पाया गया।

इस प्रकार जूली स्वयं सहयता समूहों में दिखाए गए कुल उपरोक्त 12 प्रशिक्षणार्थियों के नाम को दोबारा प्रशिक्षण दिखाकर 3720/=रू0 का अनियमित मानदेय का भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति में मौखिक रूप से बतलाया गया कि शीध्र राशि वसूली की जायगी किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक राशि वसूली नही की गई।

अतः रू0 3720=00 का दोहरा भुगतित राशि को वसूल कर सम्बंधित बैक खाता में जमा की जाए तथा (अ) विभाग को सूचित किया जाय।

(10) रू0 8370=00 विभिन्न स्वयं सेवी संस्थान को प्रशिक्षण हेतु वास्तविक से अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

शीर्ष एस0 जी0 एस0 वाई0 अन्तर्गत विभिन्न स्वंय सेवी संस्था समूहों द्वारा चूने गये सदस्यों के समुहो को विभिन्न व्यवसाय हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था जिसमें प्रति प्रशिक्षाणार्थी मानदेय आदि कुल मिलाकर रू0 155=00 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन की दर से देय था।

जाँच क्रम में ज्ञात हुआ कि कुछ स्वंय सेवी संस्था में प्रशिक्षणार्थी की संख्या में वास्तविक से अधिक दिखलाकर भुगतान प्राप्त किया गया था। ऐसे विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 027 पाई गई जिसमें (27 X2 X155) रू0 8370=00 वास्तविक से अधिक भुगतान पाया गया जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''छ'' पर संलग्न है।

अतः सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वास्तविक से अधिक मानदेय की अनियमित भुगतित राशि 8370=00 को वसूली कर सम्बन्धित बैंक खाता में जमा की जाय तथा सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(11) रू0 707=00 मँहगाई भत्ता मद में वास्तविक से अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

शीर्ष 2501 ग्रा0 वि0 अन्तर्गत विपत्र सं0 61/07–08 के द्वारा श्री मती चन्द्रिका कुमारी म0 प्र0 पदा0 को माह मई 07 से जुलाई 07 तक के वेतन विपत्र में मँहगाई भत्ता के रूप में माह मई 07 में 35 प्रतिशत की दर से एवं जून से जुलाई 07 में 41 प्रतिशत की दर से कुल रू0 13699=00 का भुगतान अन्य सुविधा सहित दिनांक 03.12.07 में पाया गया जबकि मँहगई भत्ता के रूप में माह मई 07 एंव जून 07 में 35 प्रतिशत एवं जुलाई 07 में 41 प्रतिशत की दर से अनुमान्य है।

इस प्रकार मँहगाई भत्ता के रूप में जून 07 में 35 प्रतिशत के स्थान पर 41 प्रतिशत की दर से वास्तविक से रू0 707=00 अधिक भुगतान पाया गया जिसकी विवरण निम्नवत है।

माह	मूल वेतन	मँहगाई वेतन	भुगतीत मँगहाई भत्ता दर राशि	देय मँहगाई भत्ता दर राशि	अन्तर वसूली योग्य
मई 07	7700/–	3850/–	35 % 4043.00	35 % 4043.00	–
जून 07 वे0 वृ0	7850/–	3925/–	41 % 4828.00	35 % 4121.00	707.00
जुलाई 07	7850/–	3925/–	41 % 4828.00	41 % 4828.00	–
			13699.00	**12992.00**	**कुल 707.00**

अतः मँहगाई भत्ता के रूप में अधिक भुगतीत राशि (रू0 13699=00 (–) 12992=00) रू0 707=00 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(12) रू0 588=00 मँहगाई भत्ता मद में अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

(क) शीर्ष 2515 'क' अन्तर्गत विपत्र सं0 47/07–08 के द्वारा विभिन्न पंचायत सेवकों को माह जून 07 से सितम्बर 07 तक के वेतनादि के रूप में रू0 2,92,407=00 का रोकड़ पंजी में दिनांक 5.11.07 को व्यय दिखाया गया था जिसमें से श्री राम नारायण ठाकुर पं0 सेवक को मूल वेतन रू0 3965=00 एवं मँहगाई वेतन रू0 1983=00 कुल रू0 5948=00 एवं अन्य देय सुविधाओं के साथ महँगाई भत्ता के रूप में (जून 07 से 35 प्रतिशत एवं जुलाई 07 से सितम्बर 07 तक 41 प्रतिशत) रू0 9698=00 का विपत्र तैयार कर शुद्ध भुगतान रू0 32958=00 किया गया था, जबकि मूल वेतन एवं मँहगाई वेतन की कुल राशि रू0 5948=00 के आधार पर (जून 35 प्रतिशत पर 2082=00 एवं जुलाई 07 से सितम्बर 07 तक 41 प्रतिशत पर 7316=00) कुल (2082=00 + 7316=00) = रू0 9398=00 का ही विपत्र तैयार कर, शुद्ध भुगतान रू0 32658=00 करना चाहिए था।

इस प्रकार मँहगाई भत्ता के रूप में रू0 9698=00(–)9398=00 = 300=00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य पाया गया।

(ख) पुनः विपत्र सं0 76/07–08 के द्वारा अब्दुल कयूम पं0 से0 को माह अगस्त 06 से जनवरी 07 तक के वेतनादि के रूप में रू0 39788=00 का रोकड़ पंजी में दि0 2.2.08 को व्यय दिखाया गया था। विपत्र के जाँच में मूल वेतन 3200=00 एवं मं0 वेतन रू0 1600=00 कुल रू0 4800=00 के आधार पर मँहगाई भत्ता (अगस्त 06 से दिसम्बर 06 तक 29% एवं जनवरी 07 का 35%) कुल रू0 8928=00 एवं अन्य देय सुविधा के साथ विपत्र तैयार कर 39788=00 का भुगतान किया गया था, जबकि मूल वेतन 3200=00 मँहगाई वेतन 1600=00 कुल 4800=00 के आधार पर (अगस्त 06 से दिसम्बर 06 तक 29% एवं जनवरी 07 का 35%) मँहगाई भत्ता के रूप में रू0 8640=00 का विपत्र तैयार कर शुद्ध भुगतान रू0 37500=00 होना चाहिए था।

इस प्रकार मँहगाई भत्ता के रूप में रू0 8928=00(–) रू0 8640=00= 288=00 का अधिक भुगतान किया पाया गया।

अतः उपरोक्त 'क' एवं 'ख' में मँहगाई भत्ता मद में अधिक भुगतान क्रमशः रू0 300=00 + 288=00 कुल रू0 588=00 की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से कर कोषागार में जमा की जाय तथा सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(13) रू0 660=00 छात्र वृति मद में दोहरा व्यय– वसूली योग्य :–

कल्याण मद के छात्रवृति भुगतान पंजी पार्ट '1' की जाँच क्रम में पाया गया कि पृष्ट सं0 23 के क्रमांक 07 पर छात्रा अंजनी कुमारी पिता रामवृक्ष यादव वर्ग 9 वाँ को रू0 55=00 प्रति माह की दर से कुल 12 माह हेतु 55x12 =660=00 का भुगतान था जिस व्यय की प्रविष्टि रोकड़ पुस्त पृष्ट सं0 141 दिनांक 19.4.08 में थी।

पुनः उक्त छात्रा अंजनी कुमारी के नाम को रोकड़ पंजी पृष्ट सं0 142 पर दिनांक 19.4.08 में रू0 660=00 का व्यय दोबारा पाया गया।

इस प्रकार रोकड़ पंजी में एक ही छात्रा के नाम को अनियमित रूप से रू0 660=00 का दोहरा व्यय की राशि सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा की जाय, तथा सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(14) रू0 660=00 छात्र वृति मद में गलत छात्र के नाम भुगतान दिखाया गया राशि वसूली योग्य :–

छात्रवृति भुगतान पंजी पार्ट '1' की जाँच में पाया गया कि मध्य विद्यालय ,वरहा अन्तर्गत क्रमांक 53 से 76 तक में क्रमांक 53 से 68 एवं 76 कुल 17 छात्रों को छात्रवृति राशि रू0 660=00 प्रति छात्र की दर से अलग– अलग रोकड़ पंजी में दि0 19.4.08 को

व्यय था। जिसमें से क्रमांक 68 पर छात्र व्रगेश पासवान पिता श्री राम सोगारथ पासवान वर्ग 8 वाँ के नाम जो रू0 660=00 का व्यय था उसके सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक द्वारा भुगतान पंजी पृष्ट सं0 15 दि0 19.4.8 को यह प्रमाणित किया गया था कि '' क्रमांक 68 से 75 तक का आवेदन गलती से दिया गया था उक्त छात्र अन्यत्र चला गया''।

इस प्रकार क्रमांक 68 पर छात्र व्रजेश पासवान के नाम भुगतित राशि रू0 660=00 गलत पाया गया।

अतः सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से रू0 660=00 की वसूली कर कोषागार से जमा की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(15) रू0 315=00 दौनिक भत्ता मद में अनियमित भुगतान वसूली योग्य :–

शीर्ष 2515 'ख' अन्तर्गत विपत्र सं0 143/07–08 के द्वारा श्री गजेन्द्र झा प्र0 स0 को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता हेतु कुल रू0 2300=00 का भुगतान दि0 31.3.08 को किया गया था। उक्त विपत्र की जाँच में श्री झा रहिका प्रखंड से दि0 24.8.07 को विरमित होकर दि0 31.8.07 को 11 ए0 एम0 में विस्फी प्रखं डमें योगदान किए थे। यात्रा भत्ता विपत्र में दि0 30.8.07 को अपने परिवार (स्वयं पत्नी एवं दो बच्चे कुल 3 सदस्य) के साथ रहिका से 10 ए0 एम0 में प्रस्थान कर विस्फी प्रखण्ड मुख्यालय में 2 पी0 एम0 में पहुँचे जिसके लिए मूल वेतन रू0 7550=00 पर एक दिन का दैनिक भत्ता रू0 105/– की दर से 105X3 रू0 315=00 का दाबाकर भुगतान प्राप्त किए थे। बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्त विफा में दैनिक भत्ता का कोई प्रावधान नही है।

अतः स्थानातरण यात्रा भत्ता विपत्र में दैनिक भत्ता की भुगतीत राशि (105X3) रू0 315=00 सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूली कर कोषागार में जमा की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(16) रू0 450=00 मस्टर रौल में दिखाए गए एक ही मजदूर को एक ही अवधि हेतु दुबारा भुगतान वसूली योग्य :–

विधायक योजनान्तर्गत योजना सं0 17/06–07 चमच्या मोर से केड़वार गाँव तक मिट्टी कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रू0 183500=00 अभिकर्त्ता श्री अजय कुमार राय ज0 से0 के अभिलेख की जाँच में अभिकर्त्ता द्वारा समापैत मस्टर रौल दि0 30.5.07 से 5.6.07 तक में क्रमांक 78 पर श्री पवन पासवान पे0 श्री कारी पासवान ग्रा0 वजराहा का नाम दर्जकर 5 दिन उपस्थिति दर्शाया गया था जिसके लिए रू0 75=00 प्रति दिन की दर से रू0 375=00 का भुगतान किया गया था।

पुनः उक्त अवधि में ही क्रमांक 89 पर श्री पवन पासवान पे0 श्री कारी पासवान ग्राम वजराहा दर्ज कर 6 दिनों को उपस्थिति हेतु रू0 75=00 प्रति दिन की दर से रू0 450=00 भुगतान दिखाया गया था।

इस प्रकार एक ही मजदूर को एक ही अवधि हेतु क्रमांक 89 पर दिखाया गया दुबारा भुगतान रू0 75=00 प्रति दिन की दर से (75X6) रू0 450=00 की वसूली सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से कर कोषागार में जमा की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

भाग – 2

(17) रू0 2,66,31500=00 इन्दिरा आवास योजना कार्य पूर्ण होने के पश्चात निदेशानुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य सम्पुष्टि प्रमाण पत्र के अभाव में व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

इन्दिर आवास निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच क्रम में ,विभिन्न पंचायतों के अन्तर्गत वर्ष 07–08 एंव 08–09 में प्रथम व द्वितीय किस्त के रूप में इन्दिरा आवास निर्माण हेतु कुल 1100 लाभार्थियों आवास राशि दिया गया था जिसमें कुल रू0 2,66,31500=00 रोकड़ पंजी में व्यय था जिसकी पूर्ण विवरणी परिशिष्ट ''ज'' पर संलग्न है।

इन्दिर आवास योजना पूर्ण होने के पश्चात अभिलेखों पर न कार्य पूर्ण होने का उल्लेख पाया यगा और न पर्यवेक्षक/सरकारी कर्मी द्वारा स्थल निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र पाया गया जिससे स्पष्ट नही हो सका कि आवस तैयार हुआ या नही?

विदित हो कि बिहार–सरकार ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 5975 दि0 2.5.08 के द्वारा स्पष्ट निर्देशित है कि इन्दिरा आवास योजना कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी किसी पर्यवेक्षक/सरकारी कर्मचारियों से स्थल निरीक्षण कराकर आवास पूर्ण होने की सम्पुष्टि कर इस आशय का प्रमाण पत्र अभिलेख में संलग्न करते हुए कार्रवाई बन्द की जाय।

अतः उपरोक्त ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 5975 दि0 2.5.08 के निर्देशानुसार किसी पर्यवेक्षक/सरकारी कर्मचारी से स्थल निरीक्षण कराकर इन्दिरा आवास में व्यय से आवास वना, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभिलेख में संलग्न करते हुए इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय। तत्काल व्यय राशि रू0 26631500=00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(18) रू0 135000=00 विधायक योजना में अग्रिम स्वरूप व्यय राशि आपत्ति अन्तर्गत :–

विधायक योजना सं0 12/06–07 (मौजा केड़वार में लाल कामत घर से देवनारायण घर तक मिट्टी एवं खंरजा तथा पोखरा में सुरक्षात्मक दिवाल) की जाँच में पता

चला कि योजना की स्वीकृत राशि रू0 180700=00 थी जिसके अभिकर्त्ता श्री अजय राय ज0 से0 को दिनांक 30.3.07 तक योजना कार्य पूर्ण करना था।

उक्त योजना के विरूद्ध दि0 29.5.07,3.7.08 एवं 29.7.08 को क्रमशः 15000=00,50000=00 एवं 70000=00 कुल रू0 135000=00 अग्रिम भुगतान अभिकर्त्ता के नाम पाया गया।

योजना अभिलेख में निम्न त्रुटियाँ पाई गई :–

1. योजना कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सीमा के ढ़ाई वर्ष बीत जाने के बाद भी बार–बार स्मार उपरान्त योजना अधूरा पाया गया।
2. योजना अभिलेख में संलग्न मस्टर रौल में मजदूरों का न पता, न निर्वधन संख्या और न मजदूरों का निशान सत्यापित पाया गया।
3. अभिलेख में तपसी वावा ईट उद्योग परसौनी से रू0 2250=00 प्रति हजार की दर 24750 ईट का मूल्य अभिश्रव पर रू0 55707=50 भुगतान दिखाया गया था जबकि उस दर से मात्र 55607=50 ही वास्तविक मूल्य था।
4. मेसर्स जी0 इन्टर प्राइजेज, बेनीपट्टी का बालू, सीमेन्ट गिट्टी एवं छड़ का अभिश्रव पाया गया जिस पर न क्रय तिथि और न क्रेता का नाम ही अंकित था, फलस्वरूप अभिश्रव गलत प्रतीत हुआ।

उपरोक्त बिन्दुओं अनुसार जहाँ निर्धारित समय सीमा के ढाई वर्ष बाद योजना अधूरा पाया गया वही सभी अभिश्रवों एवं मस्टर रौल पूर्ण रूप से संदेहात्मक प्रतीत हुआ।

अतः उच्चाधिकारी इस योजना का भौतिक सत्यापन कर योजना कार्यान्वयन के वास्तविक स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करावे। तत्काल अग्रिम स्वरूप व्यय राशि रू0 1,35000=00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(19) रू0 102500=00 योजना मद में व्यय राशि मस्टर रौल अभिश्रवों एवं मापी पुस्त के अभाव में आपत्ति अन्तर्गत :–

(क) विधायक योजना सं0 27/06–07 (सिमरी टोला से उत्तर अ0 जा0 टोला में सामुदायिक भवन निर्माण अभिकर्त्ता श्री मनोज कुमार ज0 से0) के अभिलेखों की जाँच में अभिकर्त्ता को दि0 21.5.07 में रू0 15000=00 तथा दि0 22.5.08 में रू0 30000=00 कुल रू0 45000=00 भुगतान था।

योजना अभिलेख अनुसार उक्त योजना 30 जून 07 तक पूरा किया जाना था जो अद्यतन पूर्ण नही पाया गया। योजना अभिलेख में उपरोक्त व्यय राशि के विरूद्ध अभिकर्त्ता द्वारा न अभिश्रवों और न मास्टर रौल समर्पित पाया गया जो योजना कार्यान्वयन में लापरवाही का द्योतक पाया गया। अभिलेख में अभिकर्त्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही

पाया गया फलस्वरूप योजना का प्रगति नही हुआ अतः व्यय राशि रू0 45000=00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(ख) पुनः द्वादश वित्त आयोग के योजनाभिलेख सं0 6/07–08 की जाँच में अवगत हुआ कि रघेपुरा चमार टोली एवं मधवा पट्टी सीमा के बीच क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मति हेतु रू0 100000=00 प्राक्कलित राशि थी जिसके अभिकर्त्ता श्री कमल नारायण शर्मा क0 अ0 ने इस योजना में दि0 20.12.07 में 7500=00 एवं 10.5.08 में रू0 50,000=00 कुल रू0 57500=00 अग्रिम स्वरूप योजना कार्यान्वयन हेतु प्राप्त किए थे किन्तु अभिलेख में न मस्टर रौल और न मापी पुस्त पाया गया।

अंकेक्षण में 1 $\frac{1}{1}$ वर्ष बाद तक योजना कार्यान्वयन से सम्बन्धित न मास्टर रौल और न मापी पुस्त पाया जाना अनियमित प्रतीत हुआ। अंकेक्षण में उपरोक्त 'क' एवं 'ख' से सम्बन्धित निर्गत आपत्ति का अनुपालन नही किया गया।

अतः उपरोक्त 'क' एवं 'ख' से सम्बन्धित राशि रू0 45000=00+57500=00 कुल रू0 102500=00 के व्यय का औचित्य स्पष्ट करते हुए वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करावे, तत्काल व्यय राशि आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(20) रू0 16087=00 गाड़ी में ईन्धन आपूर्त्ति हेतु दिखलाया गया व्यय लौग बुक के अभाव में आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2515(ख) के विपत्र सं0 97/07–08 के अभिश्रवों की जाँच क्रम में अभिश्रव सं0 74,93 एंव 104 वर्ष 07–08 से मे0 गणेश स्टोर्स डीजल खुदरा विक्रेता,बेनीपट्टी के नाम गाड़ी न0 बी0 आर0 जी0 8882 में डीजल मोबिल आपूर्ति हेतु क्रमशः रू0 1,2092=00 रू0 3138 एवं रू0 857=00 कुल रू0 16087=00 का व्यय दि0 15.3.08 को रोकड़ पुस्त में पाया गया जिसकी **पूर्ण विवरणी निम्न है :–**

क्रय तिथि	अभिश्रव सं0	डीजल मोबिल मात्रा	दर	मूल्य	विपत्र की पारित राशि
दि0 2.12.06 से 16.4.07 तक	74/07–08	275 लीटर 80 लीटर	34=31 33=21	9435=25 2656=80	12092=00
दि0 8.5.07 से 7.6.07 तक	93/07–08	90 लीटर 1 लीटर	33=21 150=00	2988=90 150=00	3138=00
दि0 9.2.07	104/07–08	25 लीटर	34=31	857=75	857=00

कुल – 16087=00

डीजल आपूर्त्ति से सम्बन्धित गाड़ी का लौग बुक बार–बार माँग के बावजूद भी अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नही किया गया।

फलस्वरूप गाड़ी कहाँ से कहाँ चली किनके द्वारा किस कार्य हेतु गाड़ी का व्यवहार किया गया कितनी दूरी तय की गई आदि का पता नही चला जिससे इन्धन मद में व्यय राशि का औचित्य स्पष्ट नही हुआ?

अतः प्रशासी विभाग व्यय राशि का औचित्य स्पष्ट कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करावें तत्काल रू0 16087=00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(21) रू0 95850=00 मस्टर रौल में दिखाया गया व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

विधायक योजनाअन्तर्गत योजना सं0 17/06–07 चमच्चा मोड़ से केड़वार गाँव तक मिट्टी कार्य प्राक्कलित राशि 183500=00 अभिकर्त्ता श्री अजय राय ज0 से0 द्वारा समर्पित मस्टर रोल दि0 24.4.07 से 29.4.07 एवं दि0 30.5.07 से 5.6.07 तक के जाँच में मजदूरों के नाम भुगतान दिखाई गई मजदूरी में कई मजदूरों का नाम पता अनुसार उक्त गाँव के मतदाता सूची में मजदूरों का नाम नही पाया गया। यथा दि0 24.4.07 से 29.4.07 तक के मस्टर रौल क्रमांक 1 एवं 2 पर क्रमशः श्री हरदेव पासवान पे0 श्री वासुदेव पासवान ग्राम केड़वार एंव श्री राजेन्द्र पासवान पे0 श्री नारोन्द्र पासवान ग्राम केड़वार को 4–4 दिन उपस्थिति दिखाकर रू0 75=00 प्रतिदिन की दर से भुगतान था। पुनः मास्टर रौल दि0 30.5.07 से 5.6.07 में क्रमांक 73 एवं 74 पर क्रमशः श्री जगदीश पासवन पे0 श्री नवीन पासवान ग्राम– केड़वार को 7–7 दिनों का रू0 75 प्रति दिन की दर से भुगतान दिखाया गया था जिसकी व्यय प्रविष्टि रोकड़ पुस्त में दि0 6.12.07 में सम्मिलित रूप से थी।

उपरोक्त मजदूरों से सम्बन्धित ग्राम केड़वार के मतदाता सूची में पासवान जाति ही नही पाया गया फलतः मास्टर रौल में दर्ज मजदूरों का नाम गलत प्रतीत हुआ।

अतः उच्चाधिकारी मास्टर रौल में दर्ज मजदूरों का भौतिक सत्यापन कर कार्रवाई की प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करावे तत्काल मास्टर रौल मद में भुगतीत राशि रू0 95850=00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(22) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का निवास लेखा अनुपलब्ध :–

प्रखंड विकास कार्यालय के अहाते में पदा0 एवं कर्मचारियों के अनेक क्वाटरे पाया गया जिसमें से कुछ सही एवं कुछ ध्वस्त की स्थिति में था। क्वाटर आंवटन एवं भाड़े की वसूली सम्बन्धी अभिलेख बार–2 माँग करने पर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट नही हो सका कि किस क्वाटर में कौन पदा0 या कर्मचारी कब से रह रहे है और नियमानुसार उसका भाड़ा भुगतान कर रहे है या नही ? क्वाटर आवंटन संचिका के आधार पर भाड़े का लेखा अद्यतन कर भुगतान की गई राशि एवं बाँकी किराया की तालिका अबिलम्ब वित्त (अंकेक्षण) विभाग को प्रेषित की जाय।

(23) निधि का विचलन :–

अभिश्रव पंजी की जाँच में पाया गया कि असमायोजित अभिश्रव के रूप में वित्रीय वर्ष के अन्त में दि0 31.3.09 को रू0 039,18,938=06 दर्शाया गया था। यह राशि आवंटन के अभाव में एक मद की प्राप्त राशि दूसरे मद में खर्च कर आवंटन की प्रत्याशा में असमायोजित अभिश्रवों के रूप में रखा गया है। इसके लिए सक्षम पदा0 की स्वीकृति आवश्यक एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय बिना सक्षम पदा0 स्वीकृति के वर्जित है लेकिन इन नियमों का पालन नही कर अनियमित ढंग से खर्च पाया गया एवं इसके लिए अद्यतन अतिरिक्त आंवटन प्राप्त नही किया गया। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(24) सामान्य अभ्युक्ति :–

प्रखंड के लेखा अवलोकन से ज्ञात हुआ कि लेखा संधारण प्रक्रिया दोषपूर्ण है। योजनाभिलेख में कार्य की प्रगति एवं पूरा कराने का प्रयास नही किया गया है। स्थानान्तरित कर्मचारियों की अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि नही पाई गई भंडार का भौतिक सत्यापन नही पाया गया कर्मचारियों के जिम्मे लंबित अग्रिमों के समायोजन के प्रति अभिरूचि नही पाई गई इन्दिरा आवास में व्यय राशि से घर बनवाने का प्रयास नही पाया गया । इसप्रकार लेखा नियमों के अवहेलना के अनेक दृष्टान्त पाए गए। इस ओर जिला प्रशासन एवं स्थानीय पदा0 का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिससे भविष्य में अपेक्षित सुधार हो।

लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1)

(2)

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1'झ' से सम्बन्धित

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची

1. विपत्र पंजी
2. नाजिर रसीद
3. सहायक रोकड़ पुस्ते।
    1. 2053 जि0 प्र0
    2. 2235 सा0 सु0
    3. 2505 एन0 आर0 ई0 पी0
    4. 2515 (क) सा0 वि0
    5. 2515 (ख) पंचायत
    6. विधयाक कोष
    7. सांसद कोष
    8. आई0 ए0 वाई0 20%
    9. आई0 आर0 वाई 80%
    10. आई0 ए0 वाई बाढ़
    11. क्रविस्तान घेराबन्दी
    12. 2225 कल्याण
    13. 2501 ग्रामिण विकास
    14. सम विकास योजना
    15. एस0 जी0 आर0 वाई0
    16. पंचायत समिति
    17. बारहवाँ वित्त आयोग
    18. 2015 विघान सभा निर्वाचन
    19. 2015 लोक सभा निर्वाचन
    20. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
    21. विविध उप रोकड़ पंजी
    22. ट्रायसम प्रशिक्षण
    23. विशेष अंगीभूत/साक्षरता
    24. रा0 सा0 सु0 पेंशन/कबीर अन्तेस्टी
    25. 2515 पंचायत निर्वाचन
    26. सामान्य भविष्य निधि
    27. त्रृण अनुदान
    28. वी0 आर0 जी0 एफ0
    29. वैट
    30. काम के बदाले अनाज
    31. एस0 जी0 एस वाई0

32. सामान्य रोकड़ पुस्त
33. वेतन भुगतान पंजियाँ
34. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
35. यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति
36. कार्यालय अभिश्रवों
37. योजना पंजी/योजना अभिलेख

<u>अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :—</u>

1. भाड़े की गाड़ी का लॉंग बुक
2. स्थायी सामग्रियों का भंडार पुस्त
3. आवास आवंटन संचिका
4. सेवा पुस्त
5. पंचायतवार वी0 पी0 एम0 सूची
6. उपस्थिति पंजी